प्रेषक,

बी0 एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 13 अक्टूबर,2014

विषय- वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-315/निविमावि/अधि-1/संवर्ग/2012, दिनॉक 29 अगस्त, 2013 पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विधिक माप विज्ञान विभाग के लेखा संवर्ग के संबंध में दिनॉक 10 अक्टूबर, 2011 से निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सहायक लेखाकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-) यथावत् बनाये रखा जाय। उक्त पद वर्तमान में निर्धारित अर्हता स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी तथा कम्प्यूटर में 'ओ' लेबल का डिप्लोमा के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें।

(2) लेखाकार के पदों पर आने के लिये प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने संबंधी शर्त को समाप्त किया जाता है। अन्य व्यवस्थायें यथावत् बनी रहेगीं।।

(3) अधीनस्थ लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखाकार के स्तर को समाप्त किया जाता है। वरिष्ठ लेखाकार के 03 पदों को आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में सहायक लेखाधिकारी के 240 नये पदों के सृजन हेतु आस्थगित रखा जायेगा। उक्त के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले सहायक लेखाधिकारी के कुल 370 पदों का विभागवार चिन्हांकन निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(4) सहायक लेखाकार तथा लेखाकार पदों की कुल संख्या-01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए क्रमश: सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की संख्या-06 तथा 16 होगी।

(5) अधीनस्थ लेखा संवर्ग का ढांचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया) निम्नानुसार होगा:-

क्र0 सं0	पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3
1-	सहायक लेखाकार/वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती-स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी तथा कम्प्यूटर में "ओ" लेबल का डिप्लोमा के अर्हता धारियों से।
2-	लेखाकार/वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-	03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पदधारकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
3-	सहायक लेखाधिकारी/वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/-	विभिन्न विभागों के लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से उनके पदों की संख्या के अनुपात में निर्धारित कोटे के आधार पर शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

http://shasanadesh.up.nic.in

सहायक लेखाकार तथा लेखाकार पदों की कुल संख्या-01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जायेगी।।

(6) विधिक माप विज्ञान विभाग में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकार, लेखाकार तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही वित्त विभाग के अधीन आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित की जायेगी और विधिक माप विज्ञान विभाग की आवश्यकतानुसार चयनित अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा।

(7) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अन्तर्गत मृत घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्तमान में कार्यरत् कार्मिकों को वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/- के स्थान पर दिनॉक 10 अक्टूबर, 2011 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/- अनुमन्य होगा।

(8) विधिक माप विज्ञान विभाग में मृत संवर्ग घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत् ऐसे पदधारकों, जिन्होंने कनिष्ठ लेखा लिपिक के रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें दिनॉक 10 अक्टूबर, 2011 अथवा 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से सहायक लेखाकार पदनामित करते हुए वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- अनुमन्य किया जायेगा।

2- उपर्युक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने अ थवा सहायक लेखाकार के पद पर उच्च ग्रेड वेतन में पदनामित होने के फलस्वरूप संबंधित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश संबंधित सेवानियमावली में यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-473/दस-2014, दिनॉक 29-8-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 एम0 मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्या-105/585(1)/84-1-14-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2' निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
7- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in